विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 79

विद्युत मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	10210.44	23.11	10233.55	21794.52	16.80	21811.32	18580.53	1943.72	20524.25	20700.50	1086.50	21787.00
वसूलियां	*-920.57*	*...*	-920.57	*-1140.00*	*...*	*-1140.00*	*-1070.00*	*...*	*-1070.00*	*-1285.00*	*...*	*-1285.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*-1819.25*	*-1819.25*	*...*	*...*	*...*
निवल	**9289.87**	**23.11**	**9312.98**	**20654.52**	**16.80**	**20671.32**	**17510.53**	**124.47**	**17635.00**	**19415.50**	**1086.50**	**20502.00**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	52.67	...	52.67	57.13	3.59	60.72	62.46	3.54	66.00	69.14	4.18	73.32
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*52.66*	*...*	*52.66*	*57.13*	*3.59*	*60.72*	*62.46*	*3.54*	*66.00*	*69.14*	*4.18*	*73.32*
2. संवैधानिक प्राधिकरण												
2.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	124.19	...	124.19	132.84	2.20	135.04	139.00	1.92	140.92	150.26	2.64	152.90
2.02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	12.00	...	12.00	13.50	...	13.50	12.50	...	12.50	14.75	...	14.75
2.03 जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	...	...	...	...	...	...	3.75	...	3.75	3.94	...	3.94
2.04 बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण	33.80	...	33.80	40.66	...	40.66	35.00	...	35.00	42.00	0.75	42.75
2.05 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि	135.00	...	135.00	140.00	...	140.00	170.00	...	170.00	85.00	...	85.00
2.06 घटाएं- सीईआरसी द्वारा दी गई राशि	-139.02	...	-139.02	-140.00	...	-140.00	-170.00	...	-170.00	-85.00	...	-85.00
निवल	*165.97*	*...*	*165.97*	*187.00*	*2.20*	*189.20*	*190.25*	*1.92*	*192.17*	*210.95*	*3.39*	*214.34*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**218.63**	**...**	**218.63**	**244.13**	**5.79**	**249.92**	**252.71**	**5.46**	**258.17**	**280.09**	**7.57**	**287.66**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता												
3. ऊर्जा संरक्षण योजनाएं												
3.01 ऊर्जा सरंक्षण	...	...	...	30.90	...	30.90	26.32	...	26.32	25.00	...	25.00
एकीकृत विद्युत विकास योजना												
4. एकीकृत विद्युत विकास योजना												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4.01 वसूली को घटाए	-177.06	...	-177.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण												
5. विधुत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण												
5.01 स्मार्ट ग्रिड	25.77	...	25.77	14.62	...	14.62	14.62	...	14.62	...	...	...
5.02 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	...	13.11	13.11	...	1.00	1.00	...	0.01	0.01	...	1.00	1.00
5.03 राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी	582.89	...	582.89	500.00	...	500.00	538.00	...	538.00	500.00	...	500.00
5.04 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, (कार्यक्रम घटक)	459.71	...	459.71	517.05	...	517.05	312.56	...	312.56	600.00	...	600.00
5.05 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार (ईएपी घटक)	361.06	...	361.06	469.95	...	469.95	287.44	...	287.44	0.01	...	0.01
5.06 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	1100.71	...	1100.71	1400.00	...	1400.00	1409.00	...	1409.00	1315.01	...	1315.01
जोड़- विधुत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	*2530.14*	*13.11*	*2543.25*	*2901.62*	*1.00*	*2902.62*	*2561.62*	*0.01*	*2561.63*	*2415.02*	*1.00*	*2416.02*
पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
6. पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
6.01 पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) को अंतरण	604.48	...	604.48	1000.00	...	1000.00	900.00	...	900.00	1200.00	...	1200.00
6.02 पावर सिस्टम डेवलपमेंट (पीएसडीएफ) स्कीम	326.75	...	326.75	547.38	...	547.38	360.50	...	360.50	747.38	...	747.38
6.03 ऋण पर ब्याज का भुगतान	451.17	...	451.17	452.62	...	452.62	539.50	...	539.50	452.62	...	452.62
6.04 घटाएं- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से प्राप्त राशि	-604.48	...	-604.48	-1000.00	...	-1000.00	-900.00	...	-900.00	-1200.00	...	-1200.00
निवल	*777.92*	*...*	*777.92*	*1000.00*	*...*	*1000.00*	*900.00*	*...*	*900.00*	*1200.00*	*...*	*1200.00*
7. सुधार आधारित वितरण स्कीम												
7.01 सुधार आधारित वितरण योजना	2738.43	...	2738.43	12071.60	...	12071.60	10400.00	...	10400.00	12585.00	...	12585.00
8. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना	...	...	...	103.80	...	103.80	33.56	...	33.56	40.00	...	40.00
9. बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	96.00	...	96.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**5869.43**	**13.11**	**5882.54**	**16107.92**	**1.00**	**16108.92**	**13921.51**	**0.01**	**13921.52**	**16361.02**	**1.00**	**16362.02**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
10. प्रशिक्षण और अनुसंधान												
10.01 केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	174.96	...	174.96	208.00	...	208.00	150.00	...	150.00	180.00	...	180.00
10.02 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	14.35	...	14.35	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00
जोड़- प्रशिक्षण और अनुसंधान	*189.31*	*...*	*189.31*	*243.00*	*...*	*243.00*	*185.00*	*...*	*185.00*	*230.00*	*...*	*230.00*
11. संरक्षण और ऊर्जा दक्षता												
11.01 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कार्यक्रम घटक)	77.16	...	77.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	**266.47**	**...**	**266.47**	**243.00**	**...**	**243.00**	**185.00**	**...**	**185.00**	**230.00**	**...**	**230.00**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
12. सीपीएसयू को सहायता												
12.01 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता	424.92	...	424.92	1448.00	...	1448.00	604.22	...	604.22	...	568.68	568.68
12.02 भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड)	376.39	...	376.39	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40
12.03 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड)	1944.58	...	1944.58	1945.56	...	1945.56	1945.56	...	1945.56	1943.59	...	1943.59
12.04 एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति	157.40	...	157.40	104.40	...	104.40	36.12	...	36.12	80.40	...	80.40
12.05 सुबनसिरि लोअर परियोजना (एनएचपीसी) के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य के लागत के लिए अनुदान	3.98	...	3.98	56.98	...	56.98	56.98	...	56.98	51.98	...	51.98
जोड़- सीपीएसयू को सहायता	*2907.27*	*...*	*2907.27*	*3931.34*	*...*	*3931.34*	*3019.28*	*...*	*3019.28*	*2452.37*	*568.68*	*3021.05*
13. बोनस शेयर जारी करना												
13.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	...	...	...	...	...	...	...	957.72	957.72	...	...	...
13.02 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	...	861.53	861.53	...	...	...
13.03 विविध पूंजीगत प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	-1819.25	-1819.25	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**2907.27**	**...**	**2907.27**	**3931.34**	**...**	**3931.34**	**3019.28**	**...**	**3019.28**	**2452.37**	**568.68**	**3021.05**
अन्य												
14. सीपत, छत्तीसगढ़ में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
15. एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान	16.08	...	16.08	16.08	...	16.08	6.00	...	6.00	...	...	...
16. सक्षम अवसंरचना अर्थात सड़कों एवं पुलों के लिए लागत सहायता	...	...	...	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	60.00	60.00
17. बाढ़ मंदन भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता	...	10.00	10.00	...	0.01	0.01	...	109.00	109.00	...	449.25	449.25
18. केन्द्रीय परीक्षण उपयोगी सेवा का सृजन	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
19. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान	11.99	...	11.99	12.00	...	12.00	22.00	...	22.00	12.01	...	12.01
20. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र	...	...	...	100.00	...	100.00	40.00	...	40.00	80.00	...	80.00
21. भारतीय नौपरिवहन कंपनियों को सब्सिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
22. एमपीआरपी के लिए अतिरिक्त निधि (जे एंड के)	...	...	...	0.01	...	0.01	64.00	...	64.00	0.01	...	0.01
23. व्यवहार्यता अंतर निधियन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**28.07**	**10.00**	**38.07**	**128.13**	**10.01**	**138.14**	**132.03**	**119.00**	**251.03**	**92.02**	**509.25**	**601.27**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**3201.81**	**10.00**	**3211.81**	**4302.47**	**10.01**	**4312.48**	**3336.31**	**119.00**	**3455.31**	**2774.39**	**1077.93**	**3852.32**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	***9289.87***	***23.11***	***9312.98***	***20654.52***	***16.80***	***20671.32***	***17510.53***	***124.47***	***17635.00***	***19415.50***	***1086.50***	***20502.00***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. विद्युत	9237.21	...	9237.21	17003.29	...	17003.29	14399.07	...	14399.07	16173.34	...	16173.34
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	52.66	...	52.66	57.13	...	57.13	62.46	...	62.46	69.14	...	69.14
3. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	23.11	23.11	...	16.80	16.80	...	124.47	124.47	...	517.82	517.82
4. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	568.68	568.68
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**9289.87**	**23.11**	**9312.98**	**17060.42**	**16.80**	**17077.22**	**14461.53**	**124.47**	**14586.00**	**16242.48**	**1086.50**	**17328.98**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	3594.10	...	3594.10	3049.00	...	3049.00	3173.02	...	3173.02
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**3594.10**	**...**	**3594.10**	**3049.00**	**...**	**3049.00**	**3173.02**	**...**	**3173.02**
कुल जोड़	**9289.87**	**23.11**	**9312.98**	**20654.52**	**16.80**	**20671.32**	**17510.53**	**124.47**	**17635.00**	**19415.50**	**1086.50**	**20502.00**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
1. पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	68.32	68.32	...	67.00	67.00	...	124.00	124.00	...	30.00	30.00
जोड़-पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**...**	**68.32**	**68.32**	**...**	**67.00**	**67.00**	**...**	**124.00**	**124.00**	**...**	**30.00**	**30.00**
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
2. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	...	6464.85	6464.85	...	10857.22	10857.22	...	9006.31	9006.31	...	11193.19	11193.19
जोड़-नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**...**	**6464.85**	**6464.85**	**...**	**10857.22**	**10857.22**	**...**	**9006.31**	**9006.31**	**...**	**11193.19**	**11193.19**
दामोदर घाटी निगम लिमिटेड												
3. दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	...	2055.37	2055.37	...	2708.00	2708.00	...	2708.00	2708.00	...	3262.00	3262.00
जोड़-दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	**...**	**2055.37**	**2055.37**	**...**	**2708.00**	**2708.00**	**...**	**2708.00**	**2708.00**	**...**	**3262.00**	**3262.00**
पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
4. उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड	...	849.45	849.45	...	2018.59	2018.59	...	1150.02	1150.02	...	1841.18	1841.18
जोड़-पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**...**	**849.45**	**849.45**	**...**	**2018.59**	**2018.59**	**...**	**1150.02**	**1150.02**	**...**	**1841.18**	**1841.18**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड												
5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	8239.70	8239.70	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	12000.00	12000.00
जोड़-सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	**...**	**8239.70**	**8239.70**	**...**	**10000.00**	**10000.00**	**...**	**10000.00**	**10000.00**	**...**	**12000.00**	**12000.00**
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
6. टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	...	4615.02	4615.02	...	3900.41	3900.41	...	4877.22	4877.22	...	3440.96	3440.96
जोड़-टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**...**	**4615.02**	**4615.02**	**...**	**3900.41**	**3900.41**	**...**	**4877.22**	**4877.22**	**...**	**3440.96**	**3440.96**
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड												
7. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	8850.00	8850.00	...	8800.00	8800.00	...	8800.00	8800.00	...	12250.00	12250.00
जोड़-पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	**...**	**8850.00**	**8850.00**	**...**	**8800.00**	**8800.00**	**...**	**8800.00**	**8800.00**	**...**	**12250.00**	**12250.00**
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम												
8. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड												
9. नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	26241.29	26241.29	...	22454.00	22454.00	...	22454.00	22454.00	...	22700.00	22700.00
जोड़-नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**...**	**26241.29**	**26241.29**	**...**	**22454.00**	**22454.00**	**...**	**22454.00**	**22454.00**	**...**	**22700.00**	**22700.00**
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड												
10. चिनाव वेली पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	568.68	...	568.68
जोड़-चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**568.68**	**...**	**568.68**
जोड़	**...**	**57384.00**	**57384.00**	**...**	**60805.22**	**60805.22**	**...**	**59119.55**	**59119.55**	**568.68**	**66717.33**	**67286.01**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए किया जाता है।

2.01. **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों और सुरक्षा अपेक्षाओं, ग्रिड मानकों के साथ-साथ, देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए उत्तरदायी है।

2.02. **संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना:** केंद्र सरकार ने दिल्ली के अलावा गोवा एवं सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का वहन केंद्र सरकार और गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाता है।

2.03. **जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना:** केंद्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीरऔर लद्दाख के लिए एक संयुक्त बिजली विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना की है।

2.04. **बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण:** विद्युत अधिनियम,2003 के प्रावधानों के तहत, केन्द्रीय सरकार ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन न्याय-निर्णयन अधिकारी या समुचित आयोगों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन, एपटेल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपीलीय न्यायाधिकरण है।

2.05. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि:** सीईआरसी एक पूर्ववर्ती विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधान के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और यह विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसने अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ववर्ती ईआरसी अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया है) के तहत जारी है। सीईआरसी के मुख्य कार्य केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या

उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के अलावा उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों को छोड़कर अन्य कम्पनियों के टैरिफ को विनियमित करना है, यदि ऐसी सृजनशील कंपनियां एक से अधिक राज्यों में दर्ज हों या इनके पास बिजली का उत्पादन और बिक्री की समग्र योजना हो, ट्रांसमिशन युटिलीटिज के टैरिफ सहित बिजली के अंतर-राज्यीय संरचना को विनियम्त करना, अंतर राज्यीय पारेषण मे लिए लाइसेंस प्रदान करना तथा राष्ट्रीय बिजली नीति और टैरिफ नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना है।

3.01. **ऊर्जा सरंक्षण:** इस निधि का उपयोग (i) जन साधारण के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरुकता लाने, (ii) ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखने, (iii) नेशनल मिशन फॉर इन्हैंस्ड एनर्जी एफिसिएंशी(एनएमईईई) को कार्यान्वित करने और (iv) निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने के लिए प्रयासों को बढ़ाने हेतु किया जाएगा। (v) प्रचालन, परियोजना प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए एमओपी द्वारा विधुत उत्पादन स्टेशनों, पारेषण और वितरण युटिलीटिज् और ग्रामीण वितरण फ्रैंचाइजी को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

5.02. **हरित ऊर्जा कॉरिडोर:** इस स्कीम में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व से समझौता किए बिना नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड के साथ एकीकरण करने का प्रस्ताव है।

5.03. **राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी:** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी योजना (जो क्रमशः डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस में समाहित की गई हैं) परियोजना क्षेत्रों में शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है।

5.04. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, (कार्यक्रम घटक):** यह परियोजना छः पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार के लिय हैं अर्थात् असम, मणिपुर, मेघालय , मिजोरम, त्रिपुरा,और नागालैंड। यह विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं। संवेदनशील सीमाओं वाले राज्यों को ध्यान में रखते हुए सिक्किम ओर अरुणाचल प्रदेश के लिय अंतर -राज्य पारेषण और वितरण परियोजनाओं को भारत सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वयन के लिय अलग कर दिया गया हैं ।

5.06. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण, उप-पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए एक व्यापक योजना परिकल्पित की गई है।

6. **पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड:** इस स्कीम में (क) अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों (गैस घटक) से विद्युत खरीदकर वितरण कंपनियों के लिए सब्सिडी के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

7. **सुधार आधारित वितरण स्कीम:** यह योजना सभी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य संवितरण क्षेत्र के लिए 24X7 संवहनीय विद्युत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिणाम और सुधार आधारित वित्तीय सहायता के संमिश्रण के रूप में संवितरित उप क्षेत्र के लिए है। इस योजना में संवितरण कंपनियों की सार्वजनिक निजी स्वामित्व, बहु आपूर्ति फ्रेंचाइजी सहित संवितरण स्तर में विभिन्न फ्रेंचाइजी प्रतिरूपों के अंगीकरण सहित सुधार पैकेजो के अंगीकरण के मामले में वितरण कंपनियों को मदद करने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार ने जनजातीय लोगों के सर्वाधिक कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) नामक योजना शुरू की है। तदनुसार, सौर विद्युत (ऑफ-ग्रिड) के सुधार संबद्ध वितरण योजना के अंतर्गत पीएम-जनमन के कारगर कार्यान्वयन के लिए निधियों के केंद्रीय हिस्से के रूप में संशोधित अनुमान 2023-24 में 50 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2024-25 में 225 करोड़ रुपए की राशि का अनन्य प्रावधान किया गया है।

8. **भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना:** घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, मानकों और लेबलिंग उपकरणों, कृषि या नगर पालिकाओं, एसएमई और बड़े उद्योगों में मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्रों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता पहलों के कार्यान्वयन, औद्योगिक उप-क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानदंडों के विकास की प्रक्रिया, एसडीए, डिस्कॉम आदि की क्षमता निर्माण के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को निधि उपलब्ध कराया जाता है।

9. **बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन:** पंप भंडारण संयत्रों और बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास संबंधी योजना। इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से व्यवहारिक ग्रिड-स्केल, लंबी अवधि के लिए ऊर्जा भंडारण का विकास तथा ऊर्जा भंडारण सेवाओं की नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए बडी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा का समेकन है।

10.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू, विद्युत शक्ति के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और घटकों के सत्यापन के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

10.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

11. **संरक्षण और ऊर्जा दक्षता:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपस्करों का मानकीकरण और लेबलीकरण, कृषि अथवा नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन, उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के विकास की प्रक्रिया की शुरूआत सहित एसएमई तथा बड़े उद्योग, एसडीए, डिस्कॉम इत्यादि के क्षमता निर्माण आदि क्षेत्रो में विभिन्न ऊर्जा दक्षता पहल के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान की जाती है।

12.01. **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता:** यह प्रधान मंत्री विकास पैकेज (2015) का एक भाग है, इसमें चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित पाकुल दुल एचईपी के लिए सहायता दी गई है।

12.02. **भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड):** इस आबंटन की आवश्यकता व्यय और बांडों के निर्गम, विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) द्वारा जुटाए गए अवसंरचना बांडों पर देय ब्याज के लिए है।

12.03. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड):** वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ईबीआर के ब्याज के भुगतान के लिए रू. 4000 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान डीडीयूजीजेवाई एवं सौभाग्य (ग्रामीण) के लिए 15000 करोड़ रूपए जुटाए गए।

12.04. **एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति:** यह योजना लोहाडी नाग पाला पन बिजली परियोजना के संबंध में अवार्ड के वितरण के लिए है।

12.05. **सुबनसिरि लोअर परियोजना (एनएचपीसी) के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य के लागत के लिए अनुदान:** सुबनसिरि लोअर परियोजना (एनएचपीसी) के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य पर व्यय। दिनांक 24.09.2019 को नीति आयोग में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सुबनसिरि लोअर परियोजना के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जानी है।

16. **सक्षम अवसंरचना अर्थात सड़कों एवं पुलों के लिए लागत सहायता:** हाइड्रो परियोजना स्थान पर सडकों, पुलों जैसी अवसंरचनाओं के विकास के लिए आबंटन।

17. **बाढ़ मंदन भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता:** पन बिजली परियोजनाओं पर बाढ नियंत्रण भंडारों हेतु सहायता के लिए आबंटन।

19. **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान:** भारत सरकार की तरफ से मुकदमे एवं विवाद के बचाव के लिए भारत कोरिया सीईपीए एवं भारत कोरिया बीआई के तहत विधि फर्म को भुगतान।

20. **आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र:** यह योजना 3 विभिन्न राज्यों में विद्युत् एवं नवीकरणीय उपकरणों हेतु लगाए जाने वाले 3 विनिर्माण जोनों के लिए है। इन जोनों में विनिर्माण सुविधाएं, अत्याधुनिक, स्वच्छ एवं ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगी, जो ऊर्जा क्षेत्र तथा नवीरकणीय हेतु आवश्यक उपकरणों, महत्वपूर्ण घटकों, मूल कच्चे माल, महत्वपूर्ण पुरजों आदि पर निर्भरता को कम करने के लिए है।

21. **भारतीय नौपरिवहन कंपनियों को सब्सिडी:** आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढावा देने के लिए, भारत सरकार ने सरकारी कार्गो के आयात हेतु मंत्रालयों/ विभागोंऔर सीपीएसई द्वारा दी गई निविदाओं में भारतीय नौवहन कंपनियों को पांच वर्षों के लिए सहायता सब्सिडी के लिए एक योजना का अनुमोदन किया है।

22. **एमपीआरपी के लिए अतिरिक्त निधि (जे एंड के):** यह प्रधान मंत्री विकास पैकेज (2015) का एक भाग है, इस परियोजना को प्रधान मंत्री पुनर्संरचना पैकेज (पीएमआरपी2004) के तहत अनुमोदित पारेषण एवं वितरण नेटवर्क से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है।